

संख्या १७
संस्थानक कालावधि विहित संख्या १७७ अतिरिक्त संख्या ३ से
प्राधान्य प्राप्त अतिरिक्त विहित संख्या (संख्या)

२०२०/२३७

दिनांक प्रकाशन	संख्या प्रकाशन	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या
१११ - १२६ प्रार्थना पत्र	११६ / १०	२३/१० / १०		
	१७२/२९		१०/६/२९	

अनवान

श्री मोडा पुत्र नाना भील श्री राजरमान सरकार नरीये तहसील

निवासी ग्रामपुरा कबरी तट - विजोतिपा निवासी विजोसिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री भोमप्रकारा पसीवाल

श्री

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली

111 - 104

उपखण्ड अधिकारी, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक 06/06/24

63 97

2024

प्रार्थना पत्र सीमे से बाह्य जायत हुआ। उपर्युक्त पत्र को
विचारित किया जाकर अग्रणी को नोटिस भेज कर तलबी जारी
की। पत्रावली चारसे तलबी/जायत दिनांक 06 06 2024 को

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

6/6/24

पत्रावली पत्र को अभिभाषक को
उपस्थित श्रीमान् पी. डी. साहू जी को
दिनांक 06/06/24 को जारी किया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

10/6/24 पत्रावली चेरा हूरी अधिकार प्राप्त उपस्थित।
विपक्षी गण को तलबी जारी करी गई। विपक्षी
द्वारा मिजी प्रकार को जमाना चेरा नहीं
किया गया। पत्रावली में आदेश जारी
निराल एवं आदेश के धारण के लिए
तलबीदार बिजौलिया को तलबी जारी हो।
पत्रावली केंद्र शुमार होकर नम्बर से कम
होकर जारी कर रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

विभागाध्यक्ष, उपखण्ड अधिकाारी, किर्लोसियाँ विभाग, भीलवाडा (राज.)

दिनांक 10/06/24

संकेत संख्या 10/06/24/10

1. नीचे पूरे पत्र जहाँ भी 100 अक्षरों के अक्षरों में लिखें।
किर्लोसियाँ विभाग, भीलवाडा (राज.)

2. व्यक्तिगत अधिकाारी क्षेत्र में स्थित खेती के लिए किर्लोसियाँ विभाग
भीलवाडा (राज.)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

:-आदेश:-

दिनांक 10/06/24

प्रार्थनापत्र मोडा पुत्र नाना ने जरिये अधिवक्ता श्री दीपक मीणा एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम मांगटला पटवार क्षेत्र मांगटला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 264 आराजी नंबर 1445/1142 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खाता संख्या 223 आराजी नंबर 1151 रकबा 0.8175 हैक्टेयर आराजी नंबर 1152 रकबा 1.1493 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.9668 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा ग्राम मांगटला पटवार क्षेत्र मांगटला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 264 आराजी नंबर 1445/1142 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खाता संख्या 223 आराजी नंबर 1151 रकबा 0.8175 हैक्टेयर आराजी नंबर 1152 रकबा 1.1493 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.9668 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकाारी
बिजौलियाँ जिला
बिजौलियाँ

संख्या 17/12/20

विषय

पत्थरगडी

विजौलिया

विषय - पत्थरगडी संख्या

17/12/20

पत्थरगडी संख्या

1- मोडा पुत्र नाना जाति भील उच्च वर्गक निवासी मन्पुरा कडकी तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थी

1-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय विजौलिया जिला
भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि
मौजा ग्राम मांगटला पटवार क्षेत्र मांगटला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या
264 आराजी नंबर 1445/1142 रकबा 1.6187 हैक्टेयर व खाता संख्या 223
आराजी नंबर 1151 रकबा 0.8175 हैक्टेयर आराजी नंबर 1152 रकबा 1.1493
हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.9668 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान
के पत्थरगडी कीजा जावें। मौके पर पत्थरगडी के दौरान कब्जा किसी अन्य
का पाया जावे तो जारिये पत्थरगडी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष
न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगडी हेतु
भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।
कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा
करेंगा। पत्थरगडी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए
पत्थरगडी करें।

पत्थरगडी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उप. खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
बिजौलियाँ